रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2014/ चैत्र 6, 1936
No. 94] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2014/CHAITRA 6, 1936

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)

(प्रधान कार्यालय तिरुवनन्तपुरम)

(शेयर्स एण्ड बॉण्ड्स विभाग)

सूचना

तिरुवनन्तपुरम, 26 मार्च, 2014

अधिसूचना सं. 5/2013-14.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के शेयरधारकों की एक सामान्य बैठक दिनांक 28 अप्रैल, 2014 सोमवार को प्रात: 11 बजे, एकेजी मेमोरियल हॉल, गैस हाउस जंक्शन, पालयम, तिरुवनंतपुरम, 695034 में निम्नलिखित कार्य चलाने हेतु आयोजित की जाएगी :

निम्नलिखित प्रस्ताव(ओं) पर विचार करने और यदि उपयुक्त माना जाएगा, तो संशोधन(ओं) के साथ अथवा बिना संशोधन(ओं) के एक विशेष संकल्प के रूप में, पारित करने के लिए:

"यह संकल्प किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) सामान्य विनियम, 1959 के साथ पठित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संबोधित) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार,भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), और/या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी जिसकी इस संबंध में कोई आवश्यकता हो के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति, यदि कोई हो, के अधीन और इसमें उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों कों स्वीकृति देने हेतु निर्धारित ऐसी शर्तों एवं संशोधनों के अधीन और जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत हो एवं सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गमन) विनियम 2009, यथा संशोधित (सेबी आईसीडीआर विनियम) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अधीन तथा स्टाक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है उन एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति हो और इसके द्वारा बैंक को निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" कहा जाएगा, को एतद्द्वारा यह सहमति दी जाती है जिसमें यह समझा जाएगा कि इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए धारा 25 के अधीन गठित, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) सामान्य विनियम, 1959 के विनियमन 38 के साथ पठित बैंक के बोर्ड की कार्यकारी समिति में शामिल किया जाएगा):-

"भारतीय स्टेट बैंक" को वरीयता के आधार पर रुपये 385 करोड़ (प्रीमियम सहित) सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76 (1) के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने की ऐसी कीमत पर नकदी के लिए रुपये 10 के इक्विटी शेयरों की इतनी संख्या में सृजित करने, पेश करने, निर्गम एवं आबंटित करने

आगे यह संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों के अधिमान्य निर्गम के मामले में, सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अनुसार, निर्गम मूल्य के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तारीख 28 मार्च, 2014 है।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित पेशकश किए जाने वाले और अधिमान्य निर्गम के रूप में आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर, बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के साथ-साथ सभी मामलों में रैंक होगा और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देश के अनुरूप घोषित लाभांश, यदि कोई हो, का हकदार होगा।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को मूल्य निर्धारण सहित प्रस्ताव में कोई संशोधन, जैसा भी अपेक्षित है या भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, या अन्य प्राधिकरणों द्वारा शेयरों के निर्गम और सूचीकरण को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति देते समय किए गए संशोधन, जिनको बोर्ड की सहमति प्राप्त हो, को स्वीकार करने का प्राधिकार या अधिकार है।"

आगे यह संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए, बोर्ड उन सभी कृत्यों, विलेखों, मामलों और चीजों को करने के लिए प्राधिकृत है जो उसके स्वविवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे जाएंगे, वह किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह, जो इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, को दूर करने के लिए भी प्राधिकृत है और इसके अलावा वह सभी कृत्यों, विलेखों, मामलों और चीजों को करने के लिए सभी प्रलेखों एवं लिखित पत्रों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है जो आवश्यक, वांछनीय या उचित हो और जो उसके विवेकानुसार उपयुक्त या वांछनीय हो और जिनके लिए शेयरधारकों की सहमति या स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, या मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा व्यक्त तत्संबंधी अपनी सहमति प्रदान कर दी है।"

आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा अपनी समस्त या किसी एक शक्ति को बैंक के निदेशकों की किसी समिति, प्रबन्ध निदेशक या अन्य अधिकारियों, जैसा भी उचित समझा जाए, को प्रत्यायोजित करने का भी प्राधिकार होगा।"

जीवनदास नारायण, प्रबंध निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./356/13]

STATE BANK OF TRAVANCORE

(Associate of the State Bank of India)

(HEAD OFFICE: THIRUVANANTHAPURAM)

(SHARES AND BONDS DEPARTMENT)

NOTICE

Thiruvananthapuram, the 26th March, 2014

Notification No. 05 of 2013 – 14.—NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of Travancore will be held on Monday the 28th April, 2014 at 11 AM in the AKG Memorial Hall, Gashouse junction, Palayam, Thiruvananthapuram, 695034 to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification(s), the following resolutions(s) as a special resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the State Bank of India (Subsidiary Banks) General Regulations, 1959 and subject to the approval, consent and sanction, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and /or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which

may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended (SEBI ICDR Regulations) and Regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include the Executive Committee of the Bank's Board constituted under section 25 of the Act read with Regulation 38 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) General Regulations, 1959, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution):-

to create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of Rs.10 each for cash at such price to be determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, aggregating to the tune of up to Rs. 385 crores (including premium), on preferential basis to the "State Bank of India".

RESOLVED FURTHER THAT in case of preferential issue of equity shares, the **Relevant date** for determination of the Issue Price is 28th March, 2014. in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares to be offered and allotted by way of Preferential issue as may be approved by Government of India and Reserve Bank of India shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board be and is hereby authorized to take all such actions and do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any other consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to any Committee(s) of Directors, the Managing Director or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

JEEVANDAS NARAYAN, Managing Director

[ADVT. III/4/Exty./356/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.